उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी

(समाज कल्याण शाखा)

सूचना

जिला समाज कल्याण, खूँटी अन्तर्गत 88 शैय्या वाले "ओल्ड एज होम" के संचालन हेतु निबंधित गैर सरकारी संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव दिनांक 27/02/18 को 12.00 बजे अपराहन तक आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत जानकारी वेबसाईट khunti.nic.in पर देखा जा सकता है। उसी दिन अपराह्न 2.00 बजे जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

प्रस्तावक की शर्तें:–

1. उन स्वंय सेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860, ट्रस्ट अधिनियम–1882, कम्पनीज अधिनियम 1958 के तहत् निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम /निगम/निकाय/कॉपरेटिव/समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन की तीन साल पूरा हो गया हो।
2. उन्हीं संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जिनका विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति हो एवं जिसका अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, तथा जिनके लिखित संविधान /वाईलाज हो। परियोजना प्रस्ताव के साथ उक्त संविधान /वाईलाज को संलग्न करना आवश्यक होगा।
3. संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिए आवश्यक होगा कि संस्था परियोजना प्रस्ताव से संबंधित विषय के समान क्षेत्र में कार्य करने का अनुभवन कम से कम 03 वर्षो का हो तथा संस्था के पास परियोजना कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध हो।
4. संस्था का विगत 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्षवार सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. इस परियोजना संचालन के लिए संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ होना आवश्यक है। संस्था के पास संबंधित परियोजना हेतु प्रस्तावित बजट का कम से कम 20% राशि अपने बैंक खाते में रखना अनिवार्य होगा।
6. परियोजना प्रस्ताव का बजट परियोना के आवश्यकता आधारित होना चाहिए, अनावश्यक रूप से अत्यधिक बजट वाले वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. वैसी स्वंयसेवी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया गया हो या जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो।
8. संस्था का चयन सरकार के पत्रांक 2479 दिनांक 27.12.2013 में दिये गये निदेश के आलोक में किया जायेगा।
9. संस्था के साथ किसी भी विवाद का निराकरण खूँटी जिला व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जायेगा।

उपायुक्त,
खूँटी।

ज्ञापांक 128/.... दिनांक 10-2-2018

प्रतिलिपि :– जिला सूचना पदाधिकारी, खूँटी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
खूँटी।